हर वोट कीमती . हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

//निविदा की शर्तें//

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के लिए किराये के वाहन लिये जाने हेतु ख्याति प्राप्त ट्रेवल्स एजेन्सी से, जिनके पास जी.एस.टी. नम्बर हों, से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें, विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से रूपये 1000/– (रूपये एक हजार) ऑनलाइन http://mptenders.gov.in पर जमा करने के पश्चात् निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदाएं दिनांक 28/03/2024 को अपरान्ह् 03:00 बजे तक आनलाईन जमा करायी जा सकेंगी तथा दिनांक 01/04/2024 को तकनीकी बिड एवं दिनांक 05/04/2024 को कर्मशियल बिड अपरान्ह् 03:30 बजे आनलाईन खोली जायेंगी। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सचिव, म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल का होगा।

ऑनलाईन पंजीयन की जानकारी :–

निविदाकार को सर्वप्रथम निर्धारित फीस जमा कर ऑनलाईन पंजीयन http://mptenders.gov.in पोर्टल पर करना होगा । जिसके आधार पर निविदाकार, म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग की ई–निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है। **प्रोसेसिंग फीस का ई–पेमेन्ट के द्वारा निविदाकार को भुगतान करना होगा।** निविदाकार स्वयं यह समाधान करले की वह आनलाईन निविदा करने की पात्रता रखता है।

निविदा संबंधी तिथिवार विवरण निम्नानुसार :–

S.No	Task	Date & Time
1	Tender published date	11/03 /2024 Time: 12:00 After noon
2	Document Download date	12 /03 /2024 Time: 12:00 After noon
3	Tender closing date	28 /03 /2024 Time: 03:00 PM
4	Online Opening of the Technical Bids	01/04 /2024 Time: 03:30 PM

तकनीकी बिड :–

सर्वप्रथम (तकनीकी बिड) प्रपत्र ''अ'' खोली जावेगी । उक्त बिड में सफल होने पर (वित्तीय बिड) प्रपत्र ''ब'' खोली जावेगी।

निविदा हेतु महत्वपूर्ण शर्तें :–

1. **फर्म/फर्म संचालक** द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन, वाणिज्यिक परिवहन यान के रूप में दर्ज होने चाहिये तथा फर्म/संस्था का मध्यप्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है।
2. वाहनों की संख्या 10 रहेगी। फर्म/फर्म संचालक के नाम पर कम से कम 25 वाहनों का पंजीयन टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है । वाहनों की संख्या घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है। (वाहन चालक का वेतन, वाहन का संधारण एवं मरम्मत,टैक्स/बीमा/इंजिन ऑयल/ब्रेक ऑयल/पी.ओ.एल./पंचर/सीट कवर धुलाई संबंधित व्यय ट्रेवल एजेंसी द्वारा ही वहन किये जावेगें।)
3. वाहन वर्ष 2022 के पूर्व का मॉडल नहीं होने चाहिए । उक्त वाहन निर्माण के पश्चात प्रथम पंजीयन वर्ष 2022 का होना चाहिए। फर्म/फर्म संचालक द्वारा सफेद अथवा सिल्वर कलर का वाहन प्रदाय किया जायेगा। वाहनों का [illegible] होना अनिवार्य होगा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by UPENDRA KUMAR DWIVEDI
Date: 2024.03.07 11:33:23 IST
Location: Madhya Pradesh-MP